आवेदकों की संख्या और तारीख 31-5-77 तक जिन अर्जियों पर टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री संख्या विवरण 'क' में दी गई है, जो सभा पटल पर रखी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी-701/77]।

देश में टेलीफोन कनेक्शन

3573. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में इस समय कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ;

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रमुख दस बड़े नगरों में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ग) क्या टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिन्होंने अब तक नाम दर्ज कराये हैं उन सभी को आगामी दो वर्षों में टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो इसमें क्या बाधाएं हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) 31-3-77 को देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 16,16,590 थी।

(ख) दो विवरण-पत्र जिनमें 31-3-77 को राज्यवार और 10 प्रमुख नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या प्रदर्शित की गई हैं, विवरण-पत्र 'क' और 'ख' के रूप में दे दिए गए हैं, जो सभा पटल पर रखी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—702 77]

(ग) 31-3-77 को देश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 1,83,512 थी।

टेलीफोन की बकाया और नई मांगें पूरी करने के लिए अतिरिक्त एक्सचेंज स्थापित करने और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। बम्बई के कुछ इलाकों को छोड़ कर विभाग में 31-3-77 तक दर्ज अधिकांश आवेदकों को 3 वर्ष की अवधि में टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे। टेलीफोन की मांगें शीघ्रता से पूरी करने में मुख्य बाधाएं ये हैं कि मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने और नए एक्सचेंज स्थापित करने के लिए अपेक्षित साज-सामान और वित्तीय साधन सीमित हैं।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

3574. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट की टेलीफोन डायरेक्टरी हिंदी और अंग्रेजी में कब कब प्रकाशित हुई और वितरित की गई ;

(ख) हिंदी और अंग्रेजी में टेलीफोन डायरेक्टरी की कितनी कितनी प्रतियां मुद्रित कराई गई ;

(ग) हिंदी और अंग्रेजी में टेलीफोन डायरेक्टरियां कब तक वितरित की जाएंगी ;

(घ) दोनों भाषाओं में साथ-साथ डायरेक्टरियां प्रकाशित करने, उन्हें शीघ्र छापने तथा प्रत्येक टेलीफोन उपभोक्ता को दोनों भाषाओं में डायरेक्टरियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) हिन्दी और अंग्रेजी टेलीफोन डाइरेक्टरियों के 1976 संस्करण क्रमशः जून और जुलाई, 1976 में निकाले गये थे। ये डाइरेक्टरियां 30-9-76 तक विभिन्न वितरण केन्द्रों से प्राप्त की जा सकती थीं। उसके बाद उपभोक्ता एक केन्द्रित स्थान से डाइरेक्टरियां ले सकते थे।

(ख) हिन्दी डाइरेक्टरी की 15,000 प्रतियां और अंग्रेजी डाइरेक्टरी की 1,99,500 प्रतियां छपाई गई थीं।

(ग) से (ङ) आशा है कि वर्ष 1977 के दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण अगस्त, 1977 के अन्त तक प्रकाशित हो जाएंगे और उसके बाद वे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। उपभोक्ता को हिन्दी या अंग्रेजी डाइरेक्टरी की केवल एक प्रति निःशुल्क दी जाती है। दूसरी भाषा की डाइरेक्टरी की प्रति मूल्य देकर प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन घर

3575. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में जिलावार कितने सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) किसी स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का क्या मानदंड हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में जिलेवार सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या और उनके स्थानों का उल्लेख विवरण–I में दिया है। जो सभा पटल पर रखा गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी–703 / 77**]।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977–78 में जिलेवार खोले जाने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोनघरों की संख्या का उल्लेख विवरण–II में किया गया है। जो सभा पटल पर रखा गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०-टी–703 /77**]।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर सामान्यतः उस स्थान पर खोला जाता है जहां डाकघर हों बशर्ते कि वह प्रस्ताव लाभ कर हो। परन्तु अविकसित क्षेत्रों में इस सुविधा का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित वर्गीकृत क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने के निमित्त उदारीकृत नीति अपनाई जाती है भले ही उससें कितना ही लाभ या हानि हो :

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडल मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप–तहसील मुख्यालय

(5) खण्ड मुख्यालय, और

(6) वे स्थान जहां 10,000 से अधिक आबादी हो।

निम्नलिखित वर्गीकृत स्थानों पर टेलीफोन सुविधा इस शर्त पर दी जा सकती है कि वार्षिक अनुमानित राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती खर्च का कम से कम 25 प्रतिशत हो।

(1) वे स्थान जो कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से दूर हों।